चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए कमिश्नर्स की
<u>आवासीय सुविधा संबंधी अभिशासी नियम</u>

1 (i) ये नियम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए आवासीय आबंटन पर लागू होते हैं जिन्हें संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया हुआ है (मुद्रित नहीं) |

(ii) ये नियम 20 मई 1954 से प्रभावी होंगे |

2. इन नियमों के प्रयोजनार्थ 'उपयुक्त प्राधिकारी' का अर्थ उस अधिकारी या उन अधिकारियों से है जिन्हें इसके लिए अध्यक्ष द्वारा उनकी ओर से नामित किया जाएगा | 'परिवार' का अर्थ पत्नी, महिला कर्मचारी के मामले में उसके पति, बच्चों, पिता, माता, छोटे भाई और बहन तथा सौतेले बच्चों से है - बशर्ते वे पूर्णतः अधिभोक्ता कर्मचारी पर निर्भर हों |

'एक अनधिकृत व्यक्ति' का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो आबंटिती के परिवार का सदस्य नहीं है और जो उपयुक्त प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना क्वार्टर में रहता है |

'एक कर्मचारी'- का अर्थ है कलकत्ता पत्तन कमिश्नर्स का स्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी |

3(i) आवासीय सुविधा का इच्छुक कोई भी कर्मचारी अपने विभाग के प्रमुख को निर्धारित फॉर्म में एक आवेदन देगा जो उसे विधिवत अनुशंसित करके उपयुक्त प्राधिकारी के पास अग्रेषित करेंगे |

(ii) उपयुक्त प्राधिकारी प्रत्येक विभाग के लिए एक प्रतीक्षा-सूची का रख-रखाव करेंगे जो पूर्णतः तारीख की प्राथमिकता के अनुरूप होगा और प्रत्येक विभाग के लिए एकल और पारिवारिक क्वार्टर का कोटा दर्शाएगा | किंतु किसी विशेष मामले में अध्यक्ष की मंजूरी मिलने पर सक्षम प्राधिकारी प्राथमिकता सूची का अधिक्रमण करते हुए किसी को भी क्वार्टर आबंटित कर सकते हैं |

(iii) क्वार्टरों के आबंटन का प्रश्न एकमात्र और पूरी तरह उपयुक्त प्राधिकारी के अधीन रहेगा जो आबंटन करते समय आवेदनों की प्राथमिकता पर विचार करेंगे |

(iv) उपयुक्त प्राधिकारी प्रत्येक आबंटिती को एक आवासीय कार्ड जारी करेंगे | उस कार्ड पर आबंटिती के राशन कार्ड का विवरण और उसके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या का उल्लेख किया गया होगा | यह कार्ड सदैव उस आवास पर ही रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर उसे दिखाना होगा |

4(i) परिवार के साथ रहने वाले कर्मचारी को एक कमरे वाला घर आबंटित किया जाएगा जबकि परिवार के बिना रहने वाले दो कर्मचारियों को एक कमरे में रहना होगा |

(ii) यदि किसी कर्मचारी को पारिवारिक क्वार्टर्स आबंटित किया गया है और उसका परिवार उस क्वार्टर्स में

साल में कम से कम 6 महीने नहीं रहता है तो उस क्वार्टर को एकल क्वार्टर्स समझा जाएगा |

(iii) यदि किसी कर्मचारी को एकल क्वार्टर्स आबंटित किया गया हो और उसे अस्थायी तौर पर पारिवारिक क्वार्टर्स की जरूरत हो तो इसके लिए उसे लिखित रूप में एक आवेदन उपयुक्त प्राधिकारी के पास देना होगा जो संभव होने पर उस आवेदक के लिए अस्थायी आबंटन कर सकते है |

5 निम्नलिखित में से किसी भी मामलों की स्थिति में कर्मचारी को आबंटित क्वार्टर्स रद्द कर दिया जाएगा :

(i) यदि कोई कर्मचारी अपने नाम आबंटित आवास में किसी अन्य अप्राधिकृत व्यक्ति को रखता है या उसे किराए पर देता है या अपने नाम आबंटित क्वार्टर्स या उसके किसी अंश को छोड़ता है |

(ii) यदि कोई कर्मचारी सेवा-निवृत्त हो जाता है, त्यागपत्र दे देता है अथवा बर्खास्त कर दिया जाता है या उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है या किसी दांडिक अपराध का दोषी है या सक्षम प्राधिकारी के विचार में किसी भी अन्य कारण से वह अवांछित तत्व लगता है |

(iii) यदि उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है |

(iv) यदि वह कर्मचारी लिखित रूप से सक्षम प्राधिकारी की सहमति के बिना अपने परिसर के पेड़ो को काट दिए जाने या छंटाई करने की अनुमति देता है |

(v) यदि वह कर्मचारी अपने आवास पर या उसके आस-पास मवेशियों को रखता है या उस घर में या उसके आस-पास कोई व्यवसाय करता है या करने की अनुमति देता है या कोई दूकान खोल देता है या खोलने की अनुमति देता है या कोई अनधिकृत निर्माण करता है या करने की अनुमति देता है, या आवास अथवा उसके आस-पास आवास का विस्तार करता है या किसी धर्मस्थल या पूजा स्थल के निर्माण की अनुमति देता है- भले ही वह कितना भी छोटा या महत्वहीन क्यों न हो, या अपने आवास में या उसके आस-पास जूआ खेलता है या खेलने की अनुमति देता है, या उस स्थान पर रहने वालों के लिए किसी तरह का व्यवधान पैदा करता है या उसकी अनुमति देता है या अपने कवार्टर्स में या उसके आस-पास कोई भी ऐसा काम करता है या किए जाने की अनुमति देता है जो गैर-कानूनी हो या जिससे उत्पात मचे |

(vi) यदि वह कर्मचारी उस आवास का ताला तोड़कर या किसी भी तरह से किसी आवास में अनधिकृत रूप से घुस कर रहने लगता है |

(vii) कमिश्नर्स की जमीन पर किसी कर्मचारी ने कोई अनधिकृत संरचना निर्मित की है और वह उस तथ्य को कमिश्नर्स से छिपा रखा है या उस निर्मित संरचना को तोड़ दिए जाने के निदेश दिए जाने की तारीख से 10 दिनों के भीतर उसे तोड़ने से चूकता है |

यदि कोई मामला उपर्युक्त खण्ड-वाक्य (iii) के तहत हो तो मृतक कर्मचारी के कानूनी वारिस या वारिसों को उनके प्राप्य का निपटान हो जाने की तारीख से सात दिनों के भीतर वह क्वार्टर्स पूर्णतः खाली करके उसका कब्जा शांतिपूर्वक अनिवार्यतः सुपुर्द कर दिया जाएगा |

अन्य सभी मामलों में संबंधित कर्मचारी को अपने प्राप्य का निपटान हो जाने के तीन दिनों के भीतर उसे अपने नाम आबंटित क्वार्टर्स का कब्जा सुपुर्द करना होगा और आवासीय कार्ड भी अभ्यर्पित कर देना होगा | यह कमिश्नर्स के उन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है जिसके अंतर्गत उनके विचार में जो भी अनुशासनिक कार्रवाई सटीक और उपयुक्त लगे - वे संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध कर सकते हैं |

कमिश्नर्स क्वार्टर्स में रह रहे कर्मचारी की मृत्यु हो जाने या उसके त्याग-पत्र देने, उसके सेवा-निवृत्त होने या उसकी बर्खास्तगी की सूचना संबंधित विभागीय प्रधान या अनुभाग अधिकारी उपयुक्त प्राधिकारी को देंगे |

6. जब कोई आबंटिती छुट्रटी पर जा रहा हो तो छुट्टी पर जाने से पहले वह अपने क्वार्टर्स को खाली करके उपयुक्त प्राधिकारी को सुपुर्द कर देगा | यदि वह ऐसा करने से चूकता है तो समुचित प्राधिकारी अपने विवेक से उसका आबंटन निरस्त कर सकता है |

7. क्वार्टर्स में रहने वाला कर्मचारी अपने आवास और आस-पास ऐसी स्वच्छता बनाए रखेगा जो कमिश्नर्स के स्वास्थ्य अधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप हो |

8. क्वार्टर्स में हुई किसी भी क्षति के लिए क्वार्टर्स में रहनेाला कर्मचारी या उसका परिवार ही जिम्मेदार होगा |

9. कोई भी कर्मचारी ताला तोड़कर या अन्य किसी तरीके से किसी आवास पर अपना अनधिकृत कब्जा नहीं जमाएगा |

10(i) अनधिकृत कब्जा या अनधिकृत निर्माण की स्थिति में उपयुक्त प्राधिकारी संबंधित विभाग को सलाह देगा कि वह विभाग अपराधी को दस दिनों के भीतर क्वार्टर्स खाली कर देने/अनधिकृत संरचना को हटा देने का निदेश दे | इस निदेश का उल्लंघन करने को अनुशासन भंग करना समझा जाएगा और संबंधित कर्मचारी अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने के लिए जिम्मेदार होगा, यहां तक कि उसे नौकरी से बर्खास्त तक किया जा सकता है |

(ii) यदि कोई कर्मचारी अपने आबंटन के निरस्त हो जाने के बाद, प्राप्य का निपटान हो जाने के 48 घंटे के बाद भी क्वार्टर्स में रहना जारी रखता हे तो उसे अनधिकार प्रवेश करने वाला समझा जाएगा |

(iii) यदि मृत आबंटिती के आश्रित उनको प्राप्य का निपटान कर दिए जाने के सात दिनो के बाद भी क्वार्टर्स में रहना जारी रखते हैं तो उन्हें अनधिकार प्रवेश करने वाला समझा जाएगा |

(iv) किसी क्वार्टर्स के अनधिकृत कब्जे के विरूद्ध और/ या यदि अनधिकृत संरचना के निर्माण करने के विरूद्ध किसी कर्मचारी के खिलाफ कभी अनुशासनिक कार्रवाई की गई होगी तो उसे पुनः क्वार्टर्स आबंटित नहीं

किया जाएगा |

11 अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्वार्टर्स का कोई भी आबंटन, जो इन नियमों के लागू होने के ठीक पहले किया हुआ था - उसे इन नियमों के तहत विधिवत आबंटित किया हुआ माना जाएगा |

12 समय-समय पर इस अनुसूची में संशोधन और फेर-बदल किया जाएगा |

13 उपयुक्त प्राधिकारी, एक महीने की नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय किसी भी कर्मचारी का आबंटित क्वार्टर्स रद्द कर दे सकता है | उस नोटिस में उल्लिखित समय सीमा समाप्त होने पर संबंधित कर्मचारी किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति का दावा किए बिना पूर्णतः खाली क्वार्टर्स का कब्जा शांतिपूर्वक सुपुर्द कर देने के लिए बाध्य होगा |

14 तथापि वह कर्मचारी उस क्वार्टर्स के आबंटन को रद्द किए जाने की सूचना (नोटिस) मिलने के 7 दिनों के भीतर अपने विभागीय प्रधान के मार्फत अध्यक्ष के पास क्वार्टर्स का आबंटन रद्द किए जाने के विरूद्ध अपील कर सकता है | ऐसी अपीलों के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा |

15 यह स्पष्टतः विनिर्दिष्ट किया हुआ है कि कर्मचारियों को क्वार्टर्स का आबंटन उपर्युक्त नियमों के अनुरूप कमिश्नर्स की अनुमति से उनके उपयोग के लिए दिए गए लाइसेंस जैसा है |

16 यदि अध्यक्ष को उचित लगता है तो वे उक्त किसी भी या सभी नियमों में ढील दे सकते हैं या समय-समय पर इस अनुसूची में और नए आवास को जोड़ सकते हैं | इन नियमों की व्याख्या अथवा इनके कार्यकर होने से संबंधित प्रश्नों से उत्पन्न सभी मामले में अंतिम निर्णय अध्यक्ष का होगा और वह सभी संबंधितों के लिए बाध्यकर होगा |

भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत |
20 मई, 1954 का उनका पत्र सं. 9-पी.आई(53) देखें |